न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 01/2024	तारीख रजू 01.04.2024	निर्णय दिनांक 09.04.2024

सरकार बनाम सलाम

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उदेई कलां स ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि सलाम पुत्र गफूर खांन जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा तह0 गंगापुर सिटी ने ग्राम उदेई कलां स के खसरा नं. 5459 में रकबा 15 X 4 वर्गमीटर किस्म गै0मु0 पाल पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से टीनशेड व चारदीवारी बनाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव इस आशय पेश किया कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नंबर 5459 किस्म गै0मु0 पाल पर किसी तहर का अतिक्रमण नहीं किया है ना ही टीनशेड व चारदीवारी बनाई है। प्रार्थी द्वारा लगभग 16 वर्ष पूर्व भूमि ख0नं0 8100/5376 में आवासीय भूखण्ड जगदीश से क्रय किया था व क्रयशुदा भूमि में ही चारदीवारी व टीनशेड का निर्माण किया है। प्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी की गैरमौजूदगी में उक्त रिपोर्ट पेश की है। जबाव मय संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किया गया।

पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा मकान व चारदीवारी स्वयं की क्रय की गई भूमि ख0नं0 8100/5376 में होना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा बनाये गये मकान व चारदीवारी का कुछ हिस्सा गै0मु0 पाल ख0नं0 5459 में निर्मित किया हुआ है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की।

उभयपक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/– की 50 गुना शास्ति 50/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर''घ'' के पेज संख्या ....
पर रुपये 50/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार